

प्रेस नोट थाना तिवारीपुर, जनपद गोरखपुर दिनांक 22.06.2022

दहेज हत्या के आरोप में अभियुक्त एवं अभियुक्ता गिरफ्तार

अपराध पर पूर्ण अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही करने हेतु दिये गये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह कर्मचारीगण द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा था। जिसके क्रम में थाना तिवारीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 73/22 धारा 498 ए, 304 बी भादवि0 व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. राहुल साहनी पुत्र बिजय कुमार निवासी माधोपुर निकट गैस गोदाम थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर व 2. किसमती देवी पत्नी विजय कुमार निवासी माधोपुर निकट गैस गोदाम थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर को दिनांक 21.06.22 की रात्रि में 23.55 बजे, डोमिनगढ रेलवे लाइन के पास थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर से मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का विवरण:-

1. राहुल साहनी पुत्र बिजय कुमार निवासी माधोपुर निकट गैस गोदाम थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर
2. किसमती देवी पत्नी विजय कुमार निवासी माधोपुर निकट गैस गोदाम थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 73/22 धारा 498 ए, 304 बी भादवि0 व 3 / 4 डीपी एक्ट, थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी का स्थान -

डोमिनगढ रेलवे लाइन के पास थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का समय व दिनांक-

दिनांक:-21.06.22 समय – 23.55 बजे रात्रि

गिरफ्तारी टीम के सदस्यों का नाम:-

1. नि0 राजेन्द्र प्रताप सिंह (प्रभारी निरीक्षक थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर)।
2. उ0नि0 मो0शाहिद सिद्दीकी, थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर।
3. का0 आनन्द किशोर, थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर।
4. का0 अब्दुल कश्यप, थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर।
5. का0 मुलायम, थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर।
6. म0का0 रूबी, थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर।
7. म0का0 सिन्धू यादव, थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर।